14

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

क्रमांक/1152/ NREGS-MP /NR-6/ 09 भोपाल, दिनांक 12/8/2009

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला – खण्डवा, धार, खरगोन, बैतूल, डिण्डोरी (**म. प्र.**)

विषय : सामाजिक अंकेक्षण वीडियोग्राफी की सीमा बाबत्।
संदर्भ : पत्र क्रमांक 8968/NREGS-MP/NR-6/20 09 भोपाल,दि. 11/07/2009

——0——

विषयांतर्गत ग्राम पंचायतें जहां पर माह जनवरी से जुलाई 09 तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि का व्यय हुआ है। ऐसी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश संदर्भित पत्रानुसार प्रसारित किये गये हैं।

वीडियो कान्फ्रेसिंग दिनांक 27 जुलाई 09 की चर्चा के संदर्भ में आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि जिले में संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित सीमा अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या काफी अधिक हो रही है। इस स्थिति में जिले में वीडियो कैमरों की उपलब्धता की समस्या हो रही है।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपके जिले में माह जनवरी से जुलाई 09 तक 25 लाख रुपये से अधिक राशि का व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों में ही वीडियोग्राफी का कार्य कराऐ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त किसी विशेष कारण से यदि किसी अन्य ग्राम पंचायत में वीडियोग्राफी की आवश्यकता प्रतीत हो, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वविवेक से अनुमति दे सकते हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

12/8/09

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ. क्र.–1153/NREGS-MP/ **NR-6/09** **भोपाल, दिनांक 12/08/2009**

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला खण्डवा, धार, खरगोन, बैतूल, डिण्डोरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/8/09

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद